



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267414
CG-DL-E-07112025-267414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4848]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4848]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5003(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH75 के कि.मी. 118.601 से कि.मी.189.5 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्विजिशन आफिसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH75 के कि.मी. 118.601 से कि.मी.189.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: हस्सान		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हसन					
गांव का नाम: बोम्मानायकनहल्ली					
1	1/7	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
2	23/21	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
3	23/4	निजी	सूखा	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
गांव का नाम: बीतगोदानहल्ली					
4	14/2	निजी	गीला	606 (वर्ग मीटर)	0.0606
5	5	निजी	सूखा	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
6	6/4	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
7	7/2	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	606 (वर्ग मीटर)	0.0606
8	8/14	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
गांव का नाम: देवरायपटना					
9	10/2A2	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
10	40/14	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
11	40/15	निजी	सूखा	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
12	47	निजी	सूखा	303 (वर्ग मीटर)	0.0303

13	73/13	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
14	73/14	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
15	73/15	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
16	73/16	निजी	सूखा	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
17	73/17	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
18	73/18	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
गांव का नाम: हस्सान रूरल					
19	146/6	निजी	एँन्एके (कमर्शियल)	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
20	170/2	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
21	188/6	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	75 (वर्ग मीटर)	0.0075
22	188/8	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	75 (वर्ग मीटर)	0.0075
23	191/10	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
24	191/11	निजी	सूखा	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
25	191/12	निजी	सूखा	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
26	191/3	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
27	191/6	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
28	191/7	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
29	191/8	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
30	191/9	निजी	सूखा	50 (वर्ग मीटर)	0.005
31	79/1	निजी	सूखा	606 (वर्ग मीटर)	0.0606
गांव का नाम: गवनहल्ली					
32	29/12	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
33	29/2	निजी	सूखा	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
34	30/1	निजी	सूखा	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
गांव का नाम: दोड्डामंडीगनहल्ली (ओजी)					
35	29/25	निजी	सूखा	808 (वर्ग मीटर)	0.0808

36	6/2	निजी	सूखा	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
37	7/10	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
38	7/11	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
39	7/12	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
40	7/13	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
41	7/7	निजी	सूखा	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
42	7/8	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
43	7/9	निजी	सूखा	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
गांव का नाम: चेन्नपटना					
44	22/11	निजी	एँन्एके (रेसिडेंशियल)	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
45	52/1	निजी	सूखा	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
46	52/9	निजी	सूखा	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
Total					1.1007

[फा. सं. 1/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

S.O. 5003(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH75 in the stretch of land from Km. 118.601 to Km. 189.5 in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH75 in the stretch of land from Km. 118.601 to Km. 189.5 in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: HASSAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hassan					
Village: Bommanayakanahalli					
1	1/7	Private	NAK (Commercial)	202 (Square Meter)	0.0202
2	23/21	Private	NAK (Commercial)	202 (Square Meter)	0.0202
3	23/4	Private	DRY	303 (Square Meter)	0.0303
Village: Bittagowdanahalli					
4	14/2	Private	WET	606 (Square Meter)	0.0606
5	5	Private	DRY	404 (Square Meter)	0.0404
6	6/4	Private	NAK (Residential)	505 (Square Meter)	0.0505
7	7/2	Private	NAK (Residential)	606 (Square Meter)	0.0606
8	8/14	Private	NAK (Residential)	101 (Square Meter)	0.0101
Village: Devarayapatna					
9	10/2A2	Private	NAK (Commercial)	101 (Square Meter)	0.0101
10	40/14	Private	NAK (Commercial)	202 (Square Meter)	0.0202
11	40/15	Private	DRY	202 (Square Meter)	0.0202
12	47	Private	DRY	303 (Square Meter)	0.0303
13	73/13	Private	NAK (Commercial)	101 (Square Meter)	0.0101
14	73/14	Private	NAK (Commercial)	101 (Square Meter)	0.0101
15	73/15	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
16	73/16	Private	DRY	202 (Square Meter)	0.0202
17	73/17	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
18	73/18	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
Village: Hassan (Rural)					
19	146/6	Private	NAK (Commercial)	404 (Square Meter)	0.0404
20	170/2	Private	NAK (Residential)	404 (Square Meter)	0.0404
21	188/6	Private	NAK (Residential)	75 (Square Meter)	0.0075
22	188/8	Private	NAK (Residential)	75 (Square Meter)	0.0075
23	191/10	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101

24	191/11	Private	DRY	202 (Square Meter)	0.0202
25	191/12	Private	DRY	202 (Square Meter)	0.0202
26	191/3	Private	NAK (Residential)	101 (Square Meter)	0.0101
27	191/6	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
28	191/7	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
29	191/8	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
30	191/9	Private	DRY	50 (Square Meter)	0.005
31	79/1	Private	DRY	606 (Square Meter)	0.0606
Village: Gavenahalli					
32	29/12	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
33	29/2	Private	DRY	303 (Square Meter)	0.0303
34	30/1	Private	DRY	303 (Square Meter)	0.0303
Village: Doddamandiganahalli (OG)					
35	29/25	Private	DRY	808 (Square Meter)	0.0808
36	6/2	Private	DRY	404 (Square Meter)	0.0404
37	7/10	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
38	7/11	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
39	7/12	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
40	7/13	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
41	7/7	Private	DRY	202 (Square Meter)	0.0202
42	7/8	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
43	7/9	Private	DRY	101 (Square Meter)	0.0101
Village: Chennapatana					
44	22/11	Private	NAK (Residential)	505 (Square Meter)	0.0505
45	52/1	Private	DRY	404 (Square Meter)	0.0404
46	52/9	Private	DRY	404 (Square Meter)	0.0404
Total					1.1007

[F. No. 1/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director